

न्यायालय - अनिल चौधरी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला उमरिया (म.प्र.)

--: विविध आदेश :-

क्रमांक- /सी.जे.एम./2020

उमरिया, दिनांक - 24.08.2020

जिला मुख्यालय उमरिया पर स्थित न्यायालयों के लिये **माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2020** में निम्नानुसार कार्य दिवस पर मध्याह्न समय दोपहर 02:35-03:35 बजे तक सभी न्यायालयों में अप्पडरट्रायल अभियुक्तों से संबंधित रिमांड कार्यवाही जो कि वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से संपादित किया जाना है, अतः इस संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उमरिया के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये सभी न्यायिक दण्डाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अप्पडरट्रायल अभियुक्तों से संबंधित रिमांड कार्यवाही, संबंधित दिनांक को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें तथा रिमांड संबंधी कार्यवाही वीडियो कॉन्फेसिंग सिस्टम से कराये जाने के पश्चात् उन्हें पुनः प्राप्त करें तथा रिमांड कार्यवाही से संबंधित आवश्यक कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार न्यायिक दण्डाधिकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था आदेश पारित किया जाता है।

क्र०	रिमांड ड्यूटी की तारीख	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम
1.	2,7,11,16,25,30 सितम्बर एवं 1,7,12,19,31 अक्टूबर 2020	श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
2.	1,5,8,12,22,26 सितम्बर एवं 3,8,13,20 अक्टूबर 2020	कु० प्रितांजलि सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
3.	3,9,14,18,23,28 सितम्बर एवं 5,9,14,21,22 अक्टूबर 2020	श्री कृष्णकांत बागरे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
4.	4,10,15,21,24,29 सितम्बर एवं 6,10,15,16,23 अक्टूबर 2020	श्री राहुल निरंकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी

नोट:- यदि संबंधित मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणवश रिमांड कार्यवाही संपादित करने हेतु असमर्थ रहते हैं, या उक्त तिथि पर अवकाश पर रहते हैं, तो वह इसकी सूचना मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उमरिया को तत्काल समुचित समय पूर्व देंगे एवं आगामी दिवस पर जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, उसके द्वारा वीडियो कॉन्फेसिंग की कार्यवाही संपादित की जावेगी, तथा उक्त मजिस्ट्रेट के भी अवकाश पर रहने पर इसी क्रमानुसार आगामी कार्य दिवस हेतु नियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा वीडियो कॉन्फेसिंग की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

सही/-

(अनिल चौधरी)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
जिला उमरिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1389/C.J.M./2020.

उमरिया दिनांक 24.08.2020

- प्रतिलिपि:**
1. श्री अभिषेक कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया म०प्र०
 2. कु० प्रितांजलि सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया म०प्र०
 3. श्री कृष्णकांत बागरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी उमरिया म०प्र०
 4. श्री राहुल निरंकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी उमरिया म०प्र०
 5. अभिभाषक संघ, जिला उमरिया म.प्र.।
 6. जेल अधीक्षक जिला-उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 7. निष्पादन लिपिक, जिला एवं सत्र न्यायालय, उमरिया की ओर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु।
 8. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 9. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग (वीडियो कॉन्फेसिंग कक्ष उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 10. डी.एस.ए., जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अनिल चौधरी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म.प्र.)